कार्यालय अंचल अधिकारी बेंगाबाद

आदेश फलक

वाद का प्रकार :– (विविध)
वाद सं0:– 08/2023/RCMS/13

सोमरा मरांडी पिता चुण्डा मरांडी
बनाम
श्री नारायण सिंह पिता स्व0 दर्शन सिंह
ग्राम:– बलीयाडीह

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	कारवाई
05/05/23	इस अभिलेख से संबंधित आवेदन थाना दिवस, बेंगाबाद के वाद सं0 130 दिनांक 04.05.2023 को सुनवाई के कम में उभय पक्षों द्वारा प्राप्त राजस्व दस्तावेज के आलोक में जॉच कर निष्पादित करने हेतु स्थानांतरित कर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में लाया गया जिसके आलोक में उक्त अभिलेख की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। उभय पक्षों द्वारा प्राप्त राजस्व दस्तावेज मौजा बलीयाडीह खाता 12 प्लॉट 491 रकवा 3.46 ए0 भूमि से संबंधित स्थल जॉच एवं हल्का मुख्यालय में संधारित राजस्व दस्तावेजों से जॉच कर प्रतिवेदन की मांग करें। तदनुसार उभय पक्षों से अपने दावों के समर्थन मे प्रश्नगत भूमि का कागजात नोटिस निर्गत कर निर्धारित तिथि 08.05.2023 को मांग करें। 08.05.23 अंचल अधिकारी, बेंगाबाद।	
10/5/2023	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तमिला प्रतिवेदन प्राप्त। उभय पक्ष अपने–अपने उपस्थिति आवेदन के साथ सुनवाई हेतु उपस्थित। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का इस वाद से संबंधित जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त है वंछित प्रतिवेदन की मांग करें। तदनुसार सुनवाई की तिथि दिनांक 10.05.2023 को रखें। 10.05.23 अंचल अधिकारी, बेंगाबाद।	
22/5/2023	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त। उभय पक्ष अपने–अपने उपस्थिति आवेदन के साथ उपस्थित। प्रथम पक्ष श्री सोमरा मरांडी द्वारा विवादित भूमि मौजा– बलियाडीह, थाना नं० 14 खाता नं० 12 प्लॉट नं० 491 रकवा 3.46ए० भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाता Adesh Falak bada Babu	

Scanned with CamScanner

की भूमि है। खतियानी रैयत फौद सिंह वो चुरी सिंह पेसरान बिहारी सिंह के नाम खतियान दर्ज पाया। उक्त खाता नं० 12 का सर्वे रकवा 5.51ए० है।

प्रथम पक्ष श्री सोमरा मरांडी से सुनवाई के क्रम विवादित भूमि के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि मौजा– बलियाडीह, खाता नं० 12 प्लॉट नं० 491 रकवा 3.46ए० भूमि उनके पूर्वज को निलामी से मिला है, लेकिन उन्होंने निलामी से संबंधित कोई ठोस कागजात प्रस्तुत नहीं किया। सुनवाई के क्रम में मौजा– बलियाडीह खाता नं० 12 प्लॉट नं० 491 रकवा 3.46ए० भूमि एक सादा कागज पर वर्णित ब्योरा उपलब्ध कराया गया है, जिस पर एक मुहर प्रदर्शित है, जो अस्पष्ट है तथा कुछ ऑनलाईन लगान रसीद सं० 0800300776 खाता नं० 12 प्लॉट नं० 491 रकवा 3.46ए० का प्रस्तुत किया गया है।

द्वितीय पक्ष श्री नारायण सिंह, पिता– स्व० दर्शन सिंह ग्राम– बलियाडीह ने न्यायालय को बताया कि उनके पूर्वज के द्वारा कभी भी उक्त प्रश्नगत भूमि का निलामी में नहीं दिया गया है। वहीं नारायण सिंह के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में से सर्वे खतियान की ऑफलाईन प्रति एवं ऑनलाईन लगान रसीद में खाता नं० 12 प्लॉट नं० 12वगै० 491 रकवा 5.23ए० भूमि दर्ज है, जो विवादित भूमि का प्लॉट नं० 491 समाहित है।

राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्लॉट सं० 491 रकवा 3.46ए० भूमि की जमाबंदी पंजी–II के 16/I पर फौद सिंह के नाम से कायम है एवं ऑनलाईन लगान रसीद रकवा 5.23ए० का निर्गत है।

प्रथम पक्ष के सोमर मरांडी के पिता चुण्डू मांझी के नाम से पंजी–II के 91/I पर कायम होकर प्लॉट सं० 491 रकवा 3.46ए० का ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत है।

आदेश

उभय पक्षों तर्क–वितर्क सुना/राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन को देखने से स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष ने मौजा– बलियाडीह, थाना नं० 14 खाता नं० 12 प्लॉट नं० 491 रकवा 3.46ए० भूमि निलामी के उपरान्त हुकुमनामा के द्वारा प्राप्त होने का दावा करते हैं, जिसके आधार पर उक्त भूमि का जमाबंदी ऑनलाईन पंजी–II में कायम है।

वहीं द्वितीय पक्ष का पूर्वजों के नाम से भी ऑनलाईन पंजी–II में विवादित भूमि का जमाबंदी कायम है।

न्यायालय दोनों पक्षों का राजस्व कागजात देखने से इस निष्कर्ष पर पहूँचती है कि उक्त विवादित मामला स्त्ववाद से जुड़ा है, जिसका निष्पादन इस न्यायालय के शक्रियों के दायरे में नहीं है।

अतः उभय पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय जा सकते हैं।

Uttam
21.05.23
अंचल अधिकारी,
बेंगाबाद।

Digitally signed by Krishna Kumar Marandi
Date: 2023.06.12 14:22:12 +05:30
Location: 192.168.1.100

Adesh Falak bada Babu

Scanned with CamScanner